

21/11/24

प्रावर्ती पेश हुई। वकील प्रावर्ती  
अथवा प्रावर्ती की ओर से कोई डफ  
नहीं है। प्रावर्ती का मूलवाद स्वारीज  
हो चुका है। बाद के अभाव में प्रा  
वीआई के पक्षों का कोई डॉक्यूमेंट  
नहीं है। अतः प्रावर्ती का प्रवेना वीआई  
इसी स्तर पर स्वारीज किया जाता है।  
प्रावर्ती प्रेसल शुद्ध होकर प्रवर  
से कर ले। देखिल प्रवर हो।

